ग्रामीण विकास विभाग, एस0एस0ओ0 बिल्डिंग, शासन सचिवालय, जयपुर

क्रमांकः एफ 24(2)ग्रा.वि/के.भ/1996 जयपुर दिनांकः

प्रिन्टर्स में कार्टेज टोनर रिफिल दर संविदा हेतु सीमित बोली (बिड) आमंत्रण सूचना

एन.आई.बी. संख्या–6 दिनांकः 16.03.2022 16 MAR 2022

ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर कार्यालय में प्रिन्टर्स में कार्टेज टोनर रिफिल दर संविदा के लिये संबंधित फर्मो से निम्न विवरणानुसार सील बन्द लिफाफे में बोली (बिड) आमंत्रित की जाती है।

क्र.सं.	विवरण	अनुमानित लागत	बोली प्रतिभूति	बोली दस्तावेज शुल्क	तकनीकी एवं वित्तीय बोली (बिड) प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय
1	ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय के विभिन्न अनुभागों में उपयोग किये जा रहे टोनर कार्टेज रिफिलिंग की दर संविदा किये जाने हेतु। (विवरण एनेक्सर–।)	1.99 लाख	4000	200/–	23.03.2022 को 11:00 AM

1. बोली (बिड) दस्तावेज राज्य लोक उपापन पोर्टल की वेबसाईट http:/sppj.raj.nic.in पर या विभागीय वेबसाईट www.rdprd.gov.in तथा कार्यालय में देखे/प्राप्त किये जा सकते है। बोली दस्तावेज उक्त वेबसाईट से डाउनलोड किये जा सकते है या विभागीय कार्यालय में निर्धारित फ़ीस रूपये 200/– नकद, बैंकर्स चैक या बैंक ड्राफ्ट के जरिये जमा कराकर दिनांक 22.03.2022 को 5.00 PM तक कार्यालय समय में प्राप्त किये जा सकते है। वेबसाईट से डाउनलोड बोली दस्तावेज के लिये भी निर्धारित फीस बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा कराने पर ही बोली स्वीकार्य होगी।
2. तकनीकी बोली एक लिफाफे में मुहरबंद होगी जिस पर तकनीकी बोली लिखा होगा। वित्तीय बोली प्रपत्र को छोड़कर शेष बोली दस्तावेज मय बोली दाता के हस्ताक्षर तकनीकी बिड लिफाफे में मुहरबंद प्रस्तुत करनी होगी। वित्तीय बोली पृथक लिफाफे में जिस पर वित्तीय बोली लिखा होगा, में मोहरबन्द रखी जावेगी। तकनीकी एवं वित्तीय बोली लिफाफे परियोजना अधिकारी (प्रशासन) के कमरा नम्बर 8104 प्रथम तल उत्तर–पश्चिम भवन, शासन सचिवालय, जयपुर को व्यक्तिशः या जरिये डाक प्रस्तुत की जा सकती है। बोली (बिड) लिफाफे पर "एनआईबी संख्या 6/ कार्टेज में टोनर रिफल कार्य के लिये बोली (बिड)" एवं "दिनांक 23.03.2022 समय 12.30 PM से पूर्व नहीं खोला जावे" लिखा जाकर बोली (बिड) प्रस्तुत की जावे।

3. बोली (बिड) के साथ अनुमानित वार्षिक लागत की 2 प्रतिशत प्रतिभूति राशि 4000/– बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या निर्धारित प्रपत्र में भारतीय सिड्यूल बैंक की गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावें। इसके अभाव में बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जावेगा। वित्त(जीटी विभाग) की अधिसूचना क्रमांक 2(1)एफडी/जी एण्ड टी– एसपीएफसी /2017 दिनांक 18.12.2020 के अनुसार 2.50 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति देय होगी।

4. निर्धारित तिथि एवं समय पश्चात् प्राप्त बोली (बिड) स्वीकार्य नहीं होगी एवं बिना खोले ही वापस लोटा दी जावेगी।

5. तकनीकी बोली दिनांक 23.03.2022 को 12.30 PM शासन उप सचिव (प्रशासन) के समक्ष मिटिंग हॉल कमरा नम्बर 8124 प्रथम तल उत्तर–पश्चिम भवन शासन सचिवालय जयपुर में उपस्थित बोलीदाता/संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जाएगा। तकनीकी बोली में सफल होने वाले संवेदको की ही वित्तीय बिड खोली जायेगी जिसकी सूचना सफल बोलीदाताओं को पृथक से दी जावेगी।

6. तकनीकी बोली के परीक्षण हेतु संबंधित फर्मो के प्रतिष्ठानो/ वर्कशॉप पर विभाग के अधिकारियो द्वारा निरीक्षण किया जावेगा एवं सामग्री कार्यालय की आवश्यकतानुसार/ तकनीकी रूप से सही पाये जाने पर ही तकनीकी बिड को सफल माना जावेगा।

7. उपापन संस्था न्यूनतम बोली (बिड) को स्वीकार ही करने के लिये बाध्य नहीं है। किसी भी बोली या उसके किसी भी भाग या सभी बोलियों को बिना कारण बताये निरस्त कर सकती है।

8. बोलीदाता को आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड वस्तु एवं सेवा कर (GST)विभाग द्वारा जारी सेवाकर पंजीयन प्रमाण पत्र की प्रतियां बोली (बिड) के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

शासन उप सचिव (प्रशासन)
(एस.एस.ओ. बिल्डिंग)
शासन सचिवालय, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. नोटिस बोर्ड ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर

Government of Rajasthan
Rural Development Department
North West Building (SSO Building)
Government Secretariate, Jaipur-302005
(**Email:- pdfa.rdd@rajasthan.gov.in**)

तकनीकी बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम.....
2. डाक का पता.....
   .....
3. फोन/मोबाईल नं.....
4. ई–मेल.....
5. बैंक का नाम.....
   IFSC Code.....
   खाता संख्या.....

6. बोलीदाता/संवेदक द्वारा निम्नलिखित पंजीकरण का विवरण निर्धारित कॉलम्स में प्रस्तुत किया जावेगा तथा उक्त पंजीकरण प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित प्रति बोली दस्तावेजो के साथ लगानी होगी:–

क्र.सं.	पंजीकरण विवरण	रजि. सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1	वस्तु एवं सेवाकर (GST)				
2	आय कर (पैन नम्बर)				

7. बोली प्रपत्र शुल्क राशि एवं बोली प्रतिभूति राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक " शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, जयपुर" के पक्ष में बनाना होगा तथा बोली प्रतिभूति राशि एवं बोली प्रपत्र शुल्क राशि का डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करना होगा।
8. मै/हम शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, उत्तरी–पश्चिमी भवन (एस. एस.ओ. बिल्डिंग), शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी की गई बोली आमंत्रण सूचना क्रमांक एफ 24(2)ग्रा.वि/के.भ/1996 में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न बोली दस्तावेजों में दी गई उक्त बोली आमंत्रण सूचना की अतिरिक्त शर्तों से बाध्य होना स्वीकार करते है।
9. तकनीकी बोली एक लिफाफे में मुहरबंद होगी जिस पर टोनर कार्टेज रिफलिंग कर्य हेतु "तकनीकी बोली" लिखा होगा। वित्तीय बोली प्रपत्र को छोड़कर शेष बोली दस्तावेज मय बोलीदाता के हस्ताक्षर तकनीकी बोली के साथ उक्त लिफाफे में मुहरबंद होगी।
10. तकनीकी बोली में क्वालिफाई/सफल बोलीदाता/संवेदक की ही वित्तीय बोली खोली जायेगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
नाम मय सील

Government of Rajasthan
Rural Development Department
North West Building (SSO Building)
Government Secretariate, Jaipur-302005

विभागीय प्रिन्टर्स में टोनर रिफलिंग कार्य का (निर्धारित विनिर्देश) विवरण प्रपत्र

रिफलिंग किये जाने वाले टोनर कार्टेज का विवरण

क्र.सं. (1)	वस्तु का नाम (मय विनिर्देशों) स्पेसफीकेशन (2)	मात्रा (3)	कॉलम सं.–2 में दिये गये स्पेसफीकेशन विशेष की आपुर्ति किये जाने पर स्पेसफीकेशन का उल्लेख किया जावें। (4)
1.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 78 ए	10 नग	
2.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 88 ए	10 नग	
3.	लेक्समार्का प्रिन्टर कार्टज	10 नग	
4.	ब्रईर प्रिन्टर की कार्टज	5 नग	
5.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 53 ए	2 नग	
6.	एच.पी. कलर प्रिंटर लेजर जेट प्रो. (MFPM 177 FW)	4 नग	
7.	एच.पी. प्रिंटर लेजर जेट प्रो. – 80 ए	5 नग	
8.	क्योसेरा प्रिन्टर एफएस कार्टेज– 1120	10 नग	
9.	Ricoh प्रिंटर कार्टेज एसपी 310 डीएन	5 नग	

शर्ते :–

1. उपरोक्त टोनर रिफलिंग हेतु दर्शायी गई मात्रा में कार्यालय में स्थापित सभी प्रिन्टर्स को सम्मलित किया गया है जिसे वर्षभर के दौरान समय–समय पर आवश्यकता अनुसार रिफिल करवाया जा सकेगा। उक्त मात्रा में कमी या वृद्धि संभव है।
2. टोनर रिफलिंग मय पार्टस करवाये जायेगें। कार्टेज का पार्टस (जैसे ड्रम. पीसीआर. ब्लेड या मैगनेट, रोड, चिप/सेन्सर एवं अन्य) खराब होने पर नया लगाना होगा।
3. विभाग द्वारा सिर्फ सूची में अंकित नम्बरों के खाली टोनर उपलब्ध करवाये जायेगें।
4. टोनर रिफलिंग का आदेश प्राप्त होने पर तत्काल टोनर रिफलिंग करके देना होगा।
5. रिफलिंग के बाद अगर टोनर खराब मिलता है तो उस टोनर को पुनः रिफलिंग करके देना होगा।
6. सभी रिफलिंग टोनरों में निम्नांकित कम्पनी व मात्रा में इंक डालनी होगी। जिससे सूची में अधिक संख्या में प्रिन्ट निकलने चाहिये। जांच करने पर कम मात्रा में प्रिन्ट आने पर पुनः रिफिल करके देना होगा।

क्र. सं.	टोनर का मैक एवं मोडल	इंक	इंक की मात्रा	प्रिन्ट प्रतियाँ
1.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 78 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1000–1400
2.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 88 ए	ITDL/Formujet/Staric Control	120ग्राम	800–1000
3.	लेक्समार्का प्रिन्टर कार्टज	ITDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1400–1500
4.	ब्रईर प्रिन्टर की कार्टज	ITDL/ODC/Fine	120 ग्राम	1000–1400
5.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 53 ए	TDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1000–1400
6.	एच.पी. कलर प्रिंटर लेजर जेट प्रो. (MFPM 177 FW)	TDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1000–1400
7.	एच.पी. प्रिंटर लेजर जेट प्रो. – 80 ए	TDL/Formujet/Staric Control	120 ग्राम	1400–1500
8.	क्योसेरा प्रिन्टर एफएस कार्टेज– 1120	एफएस कार्टेज –1120 की इंक	120 ग्राम	600–600
9.	Ricoh प्रिंटर कार्टेज एसपी 310 डीएन	Ricoh/ODC	120 ग्राम	1000–1400

1. निविदादाता का नामः–
2. डाक का पताः–
3. टेलीफोन नं. (दुकान).....
   (घर) .....

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

Government of Rajasthan
Rural Development Department
North West Building (SSO Building)
Government Secretariate, Jaipur-302005
(Email:- pdfa.rdd@rajasthan.gov.in)

विभागीय प्रिन्टर्स में टोनर रिफलिंग कार्य का वित्तीय बोली प्रपत्र

1. बोलीदाता का नाम.....
पूरा पता.....
.....
फोन नं.....मोबाईल नं.....ई–मेल.....
.....

क्र. सं. (1)	वस्तु का नाम (मय विनिर्देशों) स्पेसफीकेशन (2)	मात्रा (3)	रिफलिंग की दर प्रति नग (अंकों में) समस्त कर सहित	रिफलिंग की दर प्रति नग (शब्दों में) समस्त कर सहित
1.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 78 ए	10 नग		
2.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 88 ए	10 नग		
3.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 12 ए	2 नग		
4.	एच.पी. प्रिंटर लेजर कार्टेज 53 ए	2 नग		
5.	एच.पी. कलर प्रिंटर लेजर जेट प्रो. (MFPM 177 FW)	4 नग		
6.	एच.पी. प्रिंटर लेजर जेट प्रो. – 80 ए	2 नग		
7.	क्योसेरा प्रिन्टर एफएस कार्टेज– 1120	10 नग		
8.	Ricoh प्रिंटर कार्टेज एसपी 310 डीएन	5 नग		

निविदा के हस्ताक्षर मय सील

1. निविदादाता का नाम
2. डाक का पता
3. टेलीफोन नं. (दुकान)..... (धर) .....

जयपुर, दिनांक

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

टोनर रिफलिंग के लिए बोली (बिड) एवं संविदा की सामान्य शर्ते एवं निर्देश

टिप्पणी : बोलीदाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली प्रस्तुत करते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1. बोली (बिड) को एनआईबी में दिए गए निर्देशों के अनुसार उचित रूप में मुहरबन्द लिफाफे में बन्द करना चाहिए।
2. "वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा बोली (बिड)": – निविदाएँ वास्तविक डीलरों/सेवा दाताओं द्वारा ही दी जावेगी। अतः ये एस.आर. प्रारूप 11 में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेगे।
3. (i) फर्म के गठन आदि में किसी भी परिवर्तन की सूचना क्रेता अधिकारी को लिखित में ठेकेदार द्वारा दी जायेगी तथा इस परिवर्तन से संविदा के अधीन किसी भी दायित्व से, फर्म के पहले सदस्य को मुक्त नहीं किया जाएगा।
   (ii) संविदा के संबंध में फर्म में किसी भी नए भागीदार/भागीदारों के ठेकेदार द्वारा फर्म में तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे इसकी समस्त शर्तों को मानने के लिए बाध्य नहीं हो जाते एवं क्रेता अधिकारी को इस संबंध में लिखित इकरार नामा प्रस्तुत नहीं कर देते। प्राप्ति स्वीकृति के लिए ठेकेदार की रसीद या बाद में उपरोक्त रूप में स्वीकार की गयी किसी भागीदार की रसीद उन सब को बांध्य करेगी तथा वह संविदा के किसी प्रयोजन के लिए पर्याप्त रूप से उन्मुक्ति होगी।
4. **वस्तु एवं सेवा कर(GST) पंजीयन प्रमाण पत्र** :– कोई भी डीलर/सेवा दाता यदि उस राज्य में, प्रचलित जहाँ उसका व्यवसाय स्थित है, वस्तु एवं सेवा कर(GST) अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तो पंजीयन संख्या का उल्लेख करें (प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)।
5. बोली (बिड) प्रारूप स्याही/बाल पेन से भरा जाएगा या टंकित किया जायेगा। पैंसिल से भरी गयी किसी भी बोली (बिड) पर विचार नहीं किया जायेगा। बोलीदाता बोली (बिड) के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में बोली (बिड) के समस्त निबंधनों एवं शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण में हस्ताक्षर करेगा।
6. दर शब्दों एवं अंकों दोनों में समस्त करो सहित लिखी जाएगी। इसमें कोई त्रुटियाँ या उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई शुद्धियाँ करनी हों तो स्पष्ट रूप से की जानी चाहिए एवं उन पर दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
7. सेवा दाता/अनुबन्धकर्ता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौंपेगा या उप–भाड़े पर नहीं देगा।
8. बोली (बिड) दस्तावेजों में अंकित शर्तो के अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अतिरिक्त शर्त या प्रतिशर्त स्वीकार्य नहीं होगी।

9. **निरीक्षण :–**

(क) क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयो पर प्रदायककर्ता के परिसर में जायेगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दोरान या उस के बाद जैसा भी निश्चय किया जाय सभी युक्तियुक्त समयो पर मालो/ उपक्रणो/ मशीन की सामग्री एवं कार्य कोषल का निरिक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।

(ख) निविदादाता अपने कार्यालय, गोदाम एवं वर्कशाप के परिसर का जाहा पर निरिक्षण किया जा सकता है, पूर्ण पता, उस व्यक्ति के नाम व पते एवं फोन नं. के साथ देगा जिससे उस प्रयोजन के लिए सम्पर्क करना होगा। उन डीलरो के मामले में, जो व्यवसाय में नये प्रविष्ट हुऐ है, अपने बैकर्स से एक परिचय पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. अनुबन्ध/सेवा हेतु संविदा को, यदि सेवा अनुबन्धकर्ता अधिकारी की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया जाता है, तो बोलीदाता को सुनवाई का एक युक्तियुक्त अवसर देने के बाद अनुबन्धकर्ता अधिकारी किसी भी समय निराकृत कर सकता है। वह इस प्रकार निराकृत करने के कारणों को अभिलिखित करेगा।

11. बोलीदाता या उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना पक्ष समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

12. यदि सेवा प्राप्तकर्ता किन्हीं निविदत्त सेवाओं को प्राप्त नहीं करता है या बोली दस्तावेज में निर्दिष्ट संख्या से कम संख्या में प्राप्त करता है, तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।

13. **बोली अमानत** (Bid Security) :– (क) बोली (बिड) के साथ 4000/–रू0 की बोली प्रतिभूति प्रस्तुत की जाएगी। इसके बिना निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। यह राशि "**शासन उप सचिव,(प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग जयपुर**" के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट, बैंकर्स चैक या भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी के रूप में प्रस्तुत की जावेगी।

(ख) बोली का प्रतिदाय :– असफल बोलीदाता की **बोली प्रतिभूति** राशि बोली को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद यथा शीघ्र लौटायी जाएगी।

(ग) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रमों को कोई **बोली प्रतिभूति** प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

(घ) अनुमोदन की प्रतीक्षा करने वाली या रद्द की गयी बोलियों के संबंध में या संविदाओं के पूर्ण हो जाने के कारण विभाग/कार्यालय के पास जमा **बोली प्रतिभूति**/प्रतिभूति निक्षेप को नयी बोलियों के लिए **बोली प्रतिभूति**/प्रतिभूति धन के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा।

14. **बोली प्रतिभूति का समपहरण :– बोली प्रतिभूति** को निम्नलिखित मामलों में समपहृत कर लिया जाएगा :–

(i) जब बोलीदाता बोली (बिड) खोलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ii) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित किसी करार को,यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता है।

(iii) जब बोलीदाता आदेश देने के बाद भी प्रतिभूति (Security) राशि जमा नहीं कराता है।

(vi) जब वह विहित समय के भीतर सेवा/अनुबन्ध आदेश के अनुसार मदों का सेवा/अनुबन्ध प्रारम्भ करने में असफल रहता है।

15. (1) **करार एवं प्रतिभूति निक्षेप :** –

(i) सफल बोलीदाता को आदेश के प्राप्त होने से निर्धारित अवधि के भीतर संलग्न प्रपत्र में एक करार पत्र निष्पादित करना होगा तथा जिन सेवाओं के लिए बोली (बिड) स्वीकार की गयी हैं, उनके अनुमानित लागत के 2.5 प्रतिशत के बराबर की कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि (Security money) जमा करानी होगी। यह प्रतिभूति प्रेषण के उस दिनांक से, जिसको बोली (बिड) के स्वीकार किए जाने की सूचना उसे दी गयी है, निर्धारित अवधि के भीतर जमा करायी जाएगी।

(ii) बोली के समय जमा करायी गयी **बोली प्रतिभूति** को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि के लिए समायोजित किया जाएगा। कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि किसी भी दशा में **बोली प्रतिभूति** से कम की नहीं होगी।

(iii) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(iv) कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि "**शासन उप सचिव,(प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग जयपुर**" के नाम, बैंक ड्राफ्ट,बैंकर्स चैक, भारतीय सिड्यूल बैंक की बैंक गारण्टी अथवा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के प्रावधान अनुसार अन्य निक्षेपो में जमा कराई जा सकती है।

(v) केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने से मुक्त होंगे।

(2) प्रतिभूति निक्षेप का समपहरणः कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगाः

(अ) जब संविदा के किन्हीं निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन किया गया हो।

(ब) जब बोलीदाता सम्पूर्ण सेवा/अनुबन्ध संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हो।

(स) प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

(3) करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान बोलीदाता द्वारा किया जाएगा तथा विभाग को उस करार की एक निष्पादित स्टाम्प शुदा प्रतिपड़त निःशुल्क दी जाएगी।

16. **भुगतान :** –

(i) जब तक पक्षकारों के मध्य अन्यथा सहमति न हो जाए, सेवा/अनुबन्ध के लिए प्रत्येक माह के भुगतान हेतु बोलीदाता द्वारा सेवा अनुबन्ध कर्ता अधिकारी को उचित प्रारूप में बिल प्रस्तुत करने पर किया जाएगा तथा सभी प्रेषण प्रभार बोलीदाता द्वारा वहन किए जाएंगे।

(ii) विवादास्पद मदों के संबंध में, राशि का 10 से 25 प्रतिशत तक को रोका जाएगा तथा उस विवाद का निपटारा हो जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

(iii) उन मामलों के संबंध में, जिनमें परीक्षण करने की जरूरत है, भुगतान तभी किया जाएगा जब उनका परीक्षण कर लिया जाए तथा प्राप्त हुए परीक्षण परिणाम विहित विनिर्देशों के अनुरूप हों।

17. (i) बोली दस्तावेज प्रपत्र में कार्य कराने के लिए विनिर्दिष्ट समय को संविदा के सार रूप में समझा जाएगा तथा सफल बोलीदाता अनुबन्ध कर्ता अधिकारी से स्पष्ट आदेश के प्राप्त होने पर निर्धारित अवधि में कराएगा।

1. (ii) **परिसमापित नुकसानी** :– परिनिर्धारित क्षति (Liquidated Damages) :– परिनिर्धारित क्षति के साथ सेवा सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि करने के मामले में वसूली निम्नलिखित प्रतिशत के आधार पर उन स्टोर के मूल्यों के लिए की जायेगी जिनकी बोलीदाता सेवा सप्लाई करने में असफल रहा हैः–

(क) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि तक के विलम्ब के लिए – 2.5%

(ख) विहित सुपुर्दगी अवधि की एक चौथाई अवधि से अधिक 5%किन्तु विहित अवधि की आधी अवधि से अनधिक के लिए

(ग) विहित सुपुर्दगी अवधि की आधी अवधि से अधिक किन्तु तीन चौथाई से कम अवधि के लिए – 7.5%

(घ) विहित सुपुर्दगी अवधि की तीन चौथाई से अधिक के विलम्ब के लिए 10%

(ड़) विलम्ब की अवधि में आधे दिन से कम के भाग को छोड दिया जायेगा।

(च) परिनिर्धारित क्षति की अधिकतम राशि 10% होगी।

(छ) यदि बोलीदाता किन्हीं बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत सेवा की सप्लाई को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने प्रदायगी आदेश दिया है। किन्तु वह, उसके लिए आवेदन, बाधा के घटित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि सप्लाई पूर्ण होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।

(ज)यदि सेवा की सप्लाई करने में उत्पन्न हुई बाधा बोलीदाता के नियंत्रण से परे कारणों से हुई हो, तो सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि परिनिर्धारित क्षति सहित या रहित की जा सकेगी।

18. **वसूलियाँः–** परिसमापित नुकसानी, रद्द की गयी सेवाओं के लिए वसूली साधारण रूप से बिल में से की जाएगी। सेवा/अनुबन्ध, रद्द किए गए सेवा/अनुबन्ध की सीमा तक राशि को भी रोका जा सकेगा तथा यदि सेवा प्रदाता संतोषजनक ढंग से सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो परिसमापित नुकसानी के साथ वसूली उसकी देय राशि एवं विभाग के पास उपलब्ध प्रतिभूति निक्षेप से की जाएगी। यदि वसूली करना संभव न हो तो राजस्थान पी.डी.आर. एक्ट या प्रवृत्त किसी अन्य कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

19. यदि बोलीदाता ऐसी शर्तें आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त हैं या उनके विरोध में हैं, तो उसकी निविदा को संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रद्द कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जाएगा जब तक कि क्रेता अधिकारी द्वारा जारी किए गए बोली (बिड) स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया गया हो।

20. क्रेता अधिकारी किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की बोली (बिड) नहीं है, स्वीकार करने, बिना कोई कारण बतलाये किसी भी बोली (बिड) को रद्द करने या जिन सेवाओं के लिए बोलीदाता ने बोली (बिड) दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक के लिए बोली (बिड) को स्वीकार करने या एक फर्म/प्रदायकर्ता से अधिक को सेवा की मदों को वितरित करने के अधिकार को अपने पास आरक्षित रखेगा।

21. **बोलीदाता करार को निष्पादित करते समय निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगाः–**

(i) यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख की एक अनुप्रमाणित प्रति।

(ii) यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्मस के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।

(iii) एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नम्बर।

(iv) कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

22. प्राप्त बोलिया (बिडस) प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिवस तक वैध होगी।

23. **कीमते गिरने का खण्ड** : राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के नियम 29(2)(ज) के अनुसार दर संविदा के अधीन दरें, कीमत गिरने के खण्ड के अध्यधीन होगी। कीमत गिरने का खण्ड दर संविदा में कीमत सुरक्षा कियाविधि है और यदि दर संविदाधारक दर संविदा के चालू रहने के दौरान किसी भी समय राज्य में किसी को दर संविदा कीमत से कम कीमत पर सेवाएं देने के लिए उसकी कीमत कोट करता/कम करता है तो उस दर संविदा के अधीन उपापन की विषय वस्तु के समस्त परिदान के लिए दर संविदा कीमत, कीमत कम करने या

कोट करने की तारिख से स्वतः कम हो जायेगी और दर संविदा तद्नुसार संशोधित की जायेगी। समानान्तर दर संविदा धारण करने वाली फर्म को भी कम की हुई कीमत अधिसूचित करके अपनी कीमत कम करने का अवसर देते हुए पुनरीक्षित कीमत की उनकी स्वीकारोक्ति से सूचित करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इसी प्रकार यदि समानान्तर संविदा धारक फर्म दर संविदा के चालू रहने के दौरान अपनी कीमत कम करती है तो उसकी कम की गई कीमत अन्य समानान्तर दर संविदा धारक फर्मो और मूल संविदा धारक फर्म को अपनी कीमते तत्समान कम करने के लिए संसूचित की जायेगी। यदि कोई दर संविदा धारक फर्म कीमत कम करने से सहमत नहीं होती है तो उनके साथ आगे और संव्यवहार नहीं किया जायेगा।

24. यदि संविदा के निर्वचन, आशय या संविदा की शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों द्वारा मामले को शासन सचिव, ग्रावि, राजस्थान, जयपुर के समक्ष रखा जावेगा और इस विवाद पर वे दोनों पक्षों की बात सुनेंगे तथा उनका निर्णय अंतिम होगा।
25. समस्त विधिक कार्यवाहियाँ, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो, किसी भी पक्षकार द्वारा जयपुर शहर में स्थित न्यायालयों में ही की जाएगी, अन्यत्र नहीं की जाएंगी।
26. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शित नियम, 2013 में अंकित इस उपापन से सुसंगत सभी प्रावधान एवं शर्ते इस बोली एवं अनुबन्ध के लिए अक्षरशः लागु होगी।

बोलीदाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

घोषणा पत्र

बोली की समस्त जानकारी/ शर्तो का मैने/ हमने अच्छी तरह अध्यन कर लिया है। मै/हम यह भी प्रमाणित करते है कि मै/हम उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है। वास्तव में बोली में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है। "अधिनियम" की धारा 46 एवं "नियम" के नियम 39 के अनुसार राज्य सरकार या इस उपापन संस्था से अपात्रता के लिये विवर्जित (Debarred) नही है।

यदि यह घोषना असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/ हमारी बोली प्रतिभूति/ एवं कार्य निष्पादन प्रमिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर किया जा सकेगा तथा बोली को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

बोलीदाता के हस्ताक्षर

मय मोहर